[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 82/ 2018-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ). - सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा सा.का.नि. संख्या 1178 (अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0. 89/2017 - सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 सितम्बर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अध्याय - 71 में,-

(i) टैरिफ मद 711301 के समक्ष, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में, "246.5" अंकों के लिए, "264" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) टैरिफ मद 711302 के समक्ष, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में, "2851" अंकों के लिए, "3410" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) टैरिफ मद 711401 के समक्ष, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि में, "2851" अंकों के लिए, "3410" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा|

2. यह अधिसूचना दिनांक 25.09.2018 से लागू होगी।

[फा. सं0. 609/36/2018-डीबीके]

(आनन्द कुमार झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिपण्णी: प्रधान अधिसूचना संख्या 89/2017 - सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1178 (अ) दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया तथा इसमें भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 491 (अ) दिनांक 25 मई, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं0. 46/2018- सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 25 मई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था ।